95
07-4-15

101

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 Rs.

अपील 806-III-15

इमोड्ड शुक्ला
आज दिनांक 07-4-15 को
दिया गया।
शेडर
सर्किट कोर्ट रीवा

हरिराजकुमारीसिंह पत्नी स्व0 दानबहादुरसिंह,
निवासी देवगई, तहसीलसोहागपुर,
जिला- शहडोल॰म0प्र0॰ --- अपीलाण्ट

// बनाम//

मध्य प्रदेश शासन -- -- रेस्पा0

आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 09/03/2015 के पालन में सक्षम न्यायालय में, अग्रगामी प्रस्तुत करने हेतु अपील आवेदन मूलत: वापस।
12-03-2015
शेडर
न्यायालय कमिश्नर
शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.)

<u>अपील विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर</u>
<u>जिला- शहडोलम0प्र0के प्र0क्र0 12/अ-74/2009-2010</u>
<u>आदेश दिनांक- 05.08.2010</u>

मान्यवर,

अपीलाण्ट निम्नलिखित कारणो से अपील पेश कर प्रार्थी है:-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय काआदेश कानूनन एवं वाकायतन गलत है ।

क्रमांक 4995
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 10-4-15 को प्राप्त
10-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयने आदेश के पूर्व अपी0 को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन करने का कोई अवसरनहीं दिया, बिना सुनवाई काअवसर दिये अपी0 के पुस्तैनी पट्टे एवं स्वामित्व तथा कब्जे दखल की आराजी को शासकीय दर्ज करने का आदेश देने मे कानूनीभूल कीहै ।

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनीबिन्दु परगौरनहींकिया हैकि, ग्राम देवगई कीभूमि पुरानाखसराक्रमांक68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 110, 111 का अन्यभूमियो के साथ न्यायालय एडिशनल तहसीलदार सोहागपुर के रा0प्र0क्र0 56/53-54 द्वारा अपी0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-806-तीन/2015 जिला शहडोल हरिराजकुमारी विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 05-08-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

7.1.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य